सुखदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य

01 जून 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन न्यायाधिपतिगण)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973

दोषसिद्धी के विरूद्ध अपीलः- उच्च न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से निर्णित की गई - अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उच्च न्यायालय को मामले का एक पक्षीय निर्णय नही किया जाना चाहिए था तथा मामला उच्च न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के लिए पुनः भेजा गया।

अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत दोषसिद्ध किया जाकर 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश दिया गया। जिसके द्वारा हस्तगत अपील उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध दायर की गई, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपील का एकपक्षीय निर्णय किया गया।

अपीलार्थी की और यह अभिकथित किया गया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को सूचना दिये बिना अपने आपको अपील से

अलग कर लिया तथा अपीलार्थी को इस संबध में कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ कि उसकी ओर से अपील में अधिवक्ता उपस्थित नही हुए।

न्यायालय द्वारा अपील का निर्धारण किया गया।

अधिनिर्णय- चूंकि उच्च न्यायालय स्वंय सतुष्ट नही था कि अपीलार्थी को नोटिस दिया गया अथवा नहीं, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अपील एकपक्षीय निर्धारित नही करनी चाहिए थी। अतः मामला नये सिरे से गुणावगुण पर एवं शीघ्रता से पुनः विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

(पैरा 05)(915&एच)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः- आपराधिक अपील सं. 1049/2005 हस्तगत अपील पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 07.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जो कि आपराधिक अपील संख्या 58-एस.बी 1992 के साथ सीआरएल.एम.पी.संख्या 4562/2007 में पारित किया गया।

उज्जल सिंह, जे.पी. सिंह और ए.एस बहार (आर.सी. कौशिक की ओर से) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।

रूपांश पुरोहित (टी.वी जॉर्ज की ओर से) प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित।

हस्तगत निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत के द्वारा पारित किया गयाः- हस्तगत अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा अपीलार्थी की और से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा विद्वान सैशन जज, सिरसा के द्वारा स्वापक औषधि व मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 18 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किये जाने एवं दस वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना व्यतिक्रम की शर्त के साथ का दंडादेश दिये जाने के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

उक्त अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में कर दिया गया। आदेश को देखने से ही स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा राज्य की और से विद्वान वकील की सहायता से अभिलेख को देखकर निर्णय पारित किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि अपीलार्थी को अन्य अधिवक्ता नियुक्ति करने हेतु नोटिस भेजा गया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह देखा कि अभियुक्त की और से कोई प्रतिनिधित्व नही किया जा रहा है। निर्णय में यह अंकित किया गया कि ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है कि अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त हुआ

या नही, फिर भी उच्च न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से अपील का निपटारा कर दिया।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को इस तथ्य की कोई सूचना नही थी, कि उसके अधिवक्ता उसका प्रतिनिधित्व नही कर रहे है। जो अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अपील में पहले उपस्थित हो रहे थे, उन्होनें किसी स्तर पर स्वंय को अपील से अलग कर लिया है जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नही दी।

हालांकि अपील के समर्थन में अन्य कई अलग-अलग मुद्दे उठाये गये, लेकिन उन्हें संदर्भित करने की आवश्यकता नही है। चूंकि उच्च न्यायालय स्वंय इस बात के लिए आश्वस्त नही था कि अपीलार्थी को नोटिस मिला अथवा नहीं, इसलिए उच्च न्यायालय को मामले एकपक्षीय रूप से निर्धारित नही किया जाना चाहिए था। मामला नये सिरे से गुणावगुण कर निर्णय के लिए को उच्च न्यायालय प्रतिप्रेषित किया जाता है। चूंकि यह मामला काफी लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः नोटिस प्राप्त हुये बिना उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2007 को उपस्थित रहें। माननीय मुख्य न्यायाधिपति से अनुरोध है कि वे इस मामले को सूचीबद्ध कर उचित पीठ के समक्ष भिजवायें।

हस्तगत अपील उपरोक्तानुसार निर्धारित की जाती है।

इस आदेश को ध्यान रखते हुये सीआरएल.एम.पी.संख्या 4562/2007 में अलग से आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नही है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी पूनम शर्मा (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।